स्पेशल टॉस्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 69, दिनॉकः 06-03-2024

अर्न्तराज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार, 04 पिस्टल व 07 मैगजीन बरामद।

दिनॉकः 05–03–2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को अर्न्तराज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को 04 अदद पिस्टल .32 बोर एवं 07 अदद मैगजीन सहित जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–</u>

1. राजाराम पुत्र स्व0 रामआधार निवासी सराय मुरार सिंह थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी–</u>

1. 04 अवैध .32 बोर पिस्टल।
2. 07 अदद मैग्जीन।
2. 01 अदद मोबाइल फोन।
3. रू0 2,500/– नगद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–</u>

रॉयल गार्डर गेट के सामने जी0टी0 रोड दिनॉकः 05–03–2024 समय 20:00 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को ऐसे अपराधियों/गिरोहों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुलापन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, इस दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिहार के मुंगेर जिले से अवैध असलहे की खेप लेकर कानपुर नगर आयेगा। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा रॉयल गार्डर गेट के सामने जी0टी0 रोड थाना क्षेत्र रेल बाजार के पास से उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त राजाराम ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष 1995 में पहली बार शराब के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात वर्ष–2002 में गॉव में हुये मन्नू सिंह नामक व्यक्ति के हत्याकाण्ड में जेल गया था। जेल में इसकी मुलाकात अवैध पिस्टल तस्करी के मामले में जनपद प्रतापगढ कारागार में पूर्व से निरूद्ध निरंजन राम नि0 मुंगेर बिहार से

हुई। वर्ष–2007 में निरंजन राम जेल से जमानत पर छूटकर अभियुक्त राजाराम के घर पर पहुॅचा तथा कुछ दिन रूका। निरंजन राम के साथ ही राजाराम उपरोक्त मुंगेर, बिहार गया और अवैध अहलहों की तस्करी का काम शुरू कर दिया। वर्ष–2016 में एस0टी0एफ प्रयागराज टीम द्वारा थाना कोहडोर जनपद प्रतापगढ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वर्ष–2019 में मुंगेर से पिस्टल की खेप लाते समय जमालपुर जक्शंन से जीआरपी द्वारा गिरफ्तार कर जेल गया था। जेल से छूटने के बाद मुंगेर निवासी राजन नामक व्यक्ति के साथ मिलकर अवैध पिस्टल का कारोबार करने लगा। तस्करी कर लाई गयी पिस्टलें प्रयागराज व आस–पास के जनपदों के अपराधियों को बेंचता है। राजाराम ने यह भी बताया कि रानीगंज जनपद प्रतापगढ के दुबे जी नाम के व्यक्ति जिन्हें वह कभी मिला नहीं है, द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को मुंगेर से लाई पिस्टले देता है। दिनॉकः 18–02–2024 को भी 03 पिस्टलें दुबे जी द्वारा भेजे गये व्यक्ति को दिया था। दिनॉकः 03–03–2024 को भी मुंगेर से पिस्टल लेकर गोरखपुर लखनऊ के रास्ते कानपुर आया था जहॉ पर दुबे जी द्वारा बताये गये व्यक्ति को एक पिस्टल देनी थी तथा शेष पिस्टल प्रतापगढ में देनी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना रेलबाजार कमिश्नरेट कानपुर पर मु0अ0सं0 31/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त राजाराम उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–</u>

1. मु0अ0सं0 50/95 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0–162/95 धारा 307/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ।
3. मु0अ0सं0–190/96 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ।
4. मु0अ0सं0–293/98 धारा 302/394/411 भा0द0वि0 थाना जेठवारा, प्रतापगढ।
5. मु0अ0सं0–179/98 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ।
6. मु0अ0सं0–180/98 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ।
7. मु0अ0सं0–108/98 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ।
8. मु0अ0सं0–109/98 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ।
9. मु0अ0सं0–110/98 धारा 4/5 विस्फोटल अधि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ।
10. मु0अ0सं0–21/98 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना शहादतगंज लखनऊ
11. मु0अ0सं0–61/2001 धारा 394/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली प्रतापगढ।
12. मु0अ0सं0–46/2002 धारा 147/302/201/120बी भा0द0वि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ
13. मु0अ0सं0–425/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ।
14. मु0अ0सं0–468/2003 धारा 302 भा0द0वि0 कोतवाली प्रतापगढ।
15. मु0अ0सं0–222/19 धारा 4/5 विस्फोटक अधि0 थाना मान्धाता प्रतापगढ।
16. मु0अ0सं0–223/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ।
17. मु0अ0सं0–211/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता प्रतापगढ।
18. मु0अ0सं0–25/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जी0आर0पी0 जमालपुर, बिहार।
19. मु0अ0सं0–31/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रेलबाजार कमिश्नरेट कानपुर।